अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा (गोड्डा)

पी0ए0 केश नं0– 56 / 16–17

बबलू मुर्मू बनाम् रैयान, मौजा–पंचरूखी

–: आदेश :–

वर्त्तमान प्रक्रिया अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय से अंतरित होकर प्राप्त हुआ है। आवेदक बबलू मुर्मू, पे0–स्व0 सूरज मुर्मू के आवेदन के आधार पर मौजा–पंचरूखी में प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु वाद प्रारंभ किया गया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक–430 / रा0, दिनांक–13.11.2013 से प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसमें संलग्न राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आवेदक बबलू मुर्मू स्व0 सूरज मुर्मू के पुत्र हैं। मंझियान मुर्मू मौजा–पंचारूखी नं0–14 के पूर्व प्रधान थे। आवेदक बबलू मुर्मू पूर्व प्रधान मंझियान मुर्मू के चचेरे भाई के पुत्र हैं। प्रतिवेदन में बबलू मुर्मू को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियिम 1949 की धारा–06 के तहत् मौजा–पंचारूखी नं0–14 का प्रधान नियुक्ति करने हेतु अनुशंसा किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा बासकी हरीजन बनाम् धनश्याम मंडल CWJC No.-12793/23 में निदेशन है कि even in a cace where are two applications, the authorities as in first consider the case on the basis of hereditary. साथ ही माननीय उच्च न्यायालय झारखंड, राँची के द्वारा बाबूलाल मंडल बनाम् झारखंड सरकार WPCP 008 में निदेशन है कि Firstly persons claiming right to the post on the basis of heredittary will be considered if one them is not found acceptable by the villagers then as per Rule the SDO should go for election.

संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1950 की अनुसूची–V के उपधारा–3 के अनुसार The Office Of Headman being hereditary the next heir who is fitted should be headman के आलोक में आवेदक बबलू मुर्मू पूर्व प्रधान मंझियान मुर्मू के निकट संबंधी हैं तथा उनके परिवार से हैं। अतः उनके दावे को छोड़कर नियुक्ति के लिए अन्य का धारा–06 के तहत् विचार करना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है। किसी भी प्राधिकार एवं विपक्षी द्वारा उक्त नियम के अनुसूची–V के अनुसार निदेशित अयोग्यताओं के आलोक में बबलू मुर्मू को अयोग्य मानने का अनुरोध नहीं किया गया है या प्रतिवेदन नहीं दिया गया है।

अतः अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक–430 / रा0, दिनांक–13.11.2013 के अनुशंसा के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत् बबलू मुर्मू, पे0–स्व0 सूरज मुर्मू सा0–पंचरूखी, अंचल–बोआरीजोर को मौजा–पंचरूखी नं0–14 का प्रधान नियुक्त किया जाता है तथा सूरज पहाड़िया के आवेदन को खारिज किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि एक वर्ष का खजाना कोषागार में जमाकर चलान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–7 के तहत् कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

16.01.19

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

16.01.19

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।